EAST CENTRAL RAILWAY

SPECIAL INSTRUCTIONS No. 01/2020

Sub: Issuing of Competency Certificate jointly by TI(M) & SSE/SE(Signal).

In case of any change in the working at a station due to introduction of PI/RRI/EI or SSI and staff already working at such station are required to operate the newly provided Block Instrument/PI/RRI/EI or SSI, they shall be made conversant with the changed working. TI (M) & SSE/SE (Signal) of the section shall remain stationed at such station till staff are well conversant. If required, SMs of other stations who are already trained hands with PI/RRI/EI or SSI working (As the case may be) shall be deployed for initial 03-04 days in each shift.

Before such staff are allowed to take up independent duty, they shall be jointly examined by TI(M) & SE(Signal). After satisfying that the staff concerned are thoroughly conversant with the working of newly commissioned block instrument/PI/RRI/EI or SSI (As the case may be) at that station shall issue Competency Certificate in the given performa provided that TI(M) & SSE/SE(Signal) issuing the certificate must also have valid competency certificate as per SR 14.04(ii). After the competency certificate is issued, it shall be countersigned by the Sr.DOM/DOM or AOM duly authorised on this behalf.

	EAST CENTRAL	RAILWAY		
No	COMPETENCY CI Station Foil / Re	ecord Foil	Date	
We, the undersigned har	ve jointly examined Shri/S	Smt./Miss		
Father's Name	Designation	on	Time	hrsmts.
and jointly certify that he/s Block Instrument/PI/RRI/F	he is thoroughly conversa II or SSI and fit to perforn	nt with the work	ity at	Station/Yard.
Full Signature of TI (N	$\overline{A)}$	Full Signature of SSE/SE(Signal) Date-		
Date-				

(Salil Kumar Jha)
Principal Chief Operations Manager
ECR/ Hajipur

No.ECR/Optg.Safety/G&SR/24/505 Dated: 02.01.2020

विशेष अनुदेश सं० 01/2020

विषयः-यातायात निरीक्षक(मूवर्मेट) एवं वरि० सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) द्वारा संयुक्त रूप से सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना ।

पैनल/आर०आर०आई०/ई०आई० अथवा एस०एस०आई० लगाए जाने के कारण किसी स्टेशन के कार्य प्रणाली में हुये परिवर्तन के मामले में ऐसे स्टेशन पर पहले से कार्यरत कर्मचारी को, लगाए गए नये ब्लॉक यंत्र/पैनल/आर०आर०आई०/ई०आई० अथवा एस०एस०आई० को परिचालित करने की आवश्यकता के मद्देनजर बदले गए कार्य प्रणाली से सुपरिचित/दक्ष बनाया जाएगा । उस सेक्शन के यातायात निरीक्षक (संचलन) एवं वरि० सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) ऐसे स्टेशन पर तबतक रूकेंगे जबतक की कर्मचारी कार्य प्रणाली से पूर्णरूपेण सुपरिचित/दक्ष नहीं हो जाते हैं । यदि आवश्यक हो, तो अन्य स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को जो पहले से ही पैनल/आर०आर०आई०/ई०आई० अथवा एस०एस०आई० (जैसा कि मामला हो) पर कार्य करने में प्रशिक्षित हैं उन्हें शुरू के 03 से 04 दिनों के लिए प्रत्येक पाली में इसके लिए कार्य पर लगाया जाएगा ।

कर्मचारी को स्वतंत्र रूप से कार्य ग्रहण करने की अनुमित देने से पहले यातायात निरीक्षक (संचलन) एवं विरे० सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) द्वारा संयुक्त रूप से जांच किया जाएगा और यह संतुष्ट हो लेने के पश्चात् कि संबंधित कर्मचारी स्टेशन पर चालू किए गए नए ब्लॉक यंत्र/पैनल/आर०आर०आई०/ई०आई० अथवा एस०एस०आई० (जैसा कि मामला हो) के कार्य प्रणाली से पूरे तौर पर सुपरिचित/दक्ष हैं, दक्षता प्रमाण-पत्र दिए गए प्रारूप में जारी करेगा बशर्ते कि प्रमाण-पत्र जारी करने वाले यातायात निरीक्षक (संचलन) एवं विरे० सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) के पास सहायक नियम 14.04 (II) के अनुसार वैध सक्षमता प्रमाण-पत्र अवश्य होना चाहिए । सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात् इस पर विरे० मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक या इस प्रयोजन के लिए उचित तरीके से प्राधिकृत सहायक परिचालन प्रबंधक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

पूर्व मध्य रल					
सक्षमता प्रमाण-प	ात्र व				
स्टेशन पन्ना/रिकॉर्ड	पन्ना				
ਜਂ0	दिनांक				
अधोहस्ताक्षरी ने संयुक्त रूप से श्रीमान्/श्रीमति/कुमारी					
पिता पदनाम	का जांच दिनांक को				
समयमिनट प	र किया और हम संयुक्त रूप से प्रमाणित				
करते हैं कि कर्मचारी पूरे तौर पर चालू किए गए नया ब्लॉक यंत्र/ पैनल/ आर०आर०आई०/ई०आई०					
अथवा एस०एस०आई० (जैसा कि मामला हो) के कार्य प्रणाली से सुपरिचित/दक्ष है एवं					
रटेशन/ यार्ड में गाड़ी चलाने के कार्य को करने के लिए उपयुक्त है ।					
यातायात निरीक्षक (संचलन) का पूरा हस्ताक्षर वरि	0 सेक्शन इंजी०/सेक्शन इंजी०(सिगनल)				
	का पूरा हस्ताक्षर				
दिनांक दि	नांक				

पत्रांक पूर्मरे/परि संरक्षा/जी एउ एएआर/२५/५०८ दिनांक - 02.01.2020,

(सलिल कुमार झा) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक पू०म०रे०,हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

No.ECR/Optg.Safety/Spl.Inst.74/505

Dated: 30.01.2020

ADDENDUM (WITH RESPECT TO SPECIAL INSTRUCTION NO.01/2020)

This is in reference to Special Instruction 01/2020 issued on 02.01.2020 regarding issuing of competency certificate jointly by TI(M) & SSE/SE(Signal) in case of change in working due to introduction of new system.

Dual VDU may be inserted/added wherever Block Instrument/PI/RRI/EI or SSI appears in the text or the Performa of competency certificate and should be read as Block Instrument/PI/EI/Dual VDU/RRI/SSI.

All concerned will correct SPECIAL INSTRUCTION NO.01/2020) of East Central Railway accordingly and the same shall be brought to the notice of all the Officers/officials concerned.

£600

(Salil Kumar Jha)
Principal Chief Operations Manager
ECR/ Hajipur

Copy to:-

- 1. Commissioner of Railway Safety/Eastern circle/Kolkata.
- 2. Advisor Safety Rly. Board/New Delhi.
- 3. Secy. to GM for kind information of GM/ECR.
- 4. PS-I to AGM/ECR.
- 5. DRMs- DHN, DNR, MGS, SEE & SPJ.
- 6 CCO DCCM DCE DCE DCC DCCC CT DCCCC